"जल धारा" और "किसान विकास पत्र" योजनाओं का कार्यान्वयन

3609. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बजट में "जल धारा", "किसान विकास पत्र" आदि योजनाओं की घोषणा की गई थी और यदि हां, तो इन योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और इन योजनाओं के लाभ किसान कब से उठा सकेंगे; और

(ख) क्या योजना बैंकों तथा कृषि विभाग को भेज दी गई है; यदि नहीं, तो इसे उन्हें कब तक भेज दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) "जलधारा)" और "किसान विकास पत्र" योजनाओं की घोषणा वित्त मंत्री के 1988-89 के बजट भाषण में की गई थी।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में सीमान्तिक किसानों की सहायता करने और बिजली के पम्पसेटों के माध्यम से उन्हें सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "जलधारा" योजना का प्रस्ताव किया गया है। यह योजना उन्हें नाम-मात्र के किराए/लीज प्रभारों पर सिंचाई के लिए पम्पसेटों के लाभ पहुंचाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1988-89 के दौरान लगभग 50,000 ऐसे खेतिहर परिवारों को लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत एक समय की लागत, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दिए जाने वाले अनुदान तथा ऋण दोनों से पूरी की जाएगी।

"किसान विकास पत्र" योजना को 1988-89 में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। ये पत्र 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए मूल्यवर्ग के होंगे। इन पत्रों में निवेषित राशि 5 वर्ष 6 महीने में दोगुनी हो जाएगी। इन पत्रों को 2 वर्ष 6 महीने बाद किसी भी समय, समय-पूर्व भुनाने की अनुमति होगी तथा अधिक लम्बी अवधि के लिए उत्तरोत्तर ब्याज की ऊंची दर का लाभ दिया जाएगा। ये पत्र व्यक्तियों तथा विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा विभागीय डाकघरों से सीधे अथवा अल्प बचत एजेंटों के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। इन पत्रों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। किसान विकास पत्रों में निवेश के लिए आयकर संबंधी कोई रियायत नहीं है।

आयकर के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

3610. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर तथा उत्पाद कर के क्षेत्र "क" में स्थित कार्यालयों की संख्या कितनी है; इन कार्यालयों में कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अप्रैल, 1988 से इन कार्यालयों में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाए, क्या योजना है ;

(ख) इन कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को नामित किया है, उनके नाम क्या हैं और यदि अभी नामित नहीं किया गया है, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा ; और

(ग) क्या 1988 के दौरान ऐसे सभी कार्यालयों में जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति का विधिवत गठन किया गया है, और गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन "क" क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या

क्रमश: 20 तथा 17 है, जिनमें क्रमश: 50 प्रतिशत और 54 प्रतिशत कार्य-हिन्दी में किया जा रहा है । हिन्दी में कि जा रहे कार्य के प्रतिशत अनुपात में बढ़ोतरी करने के लिए विभागाध्यक्षों को अनुदेश जारी किए गए है । इन कार्यालयों की आवधिक रिपोर्टों के जरिए तथा इन कार्यालयों का निरीक्षण करके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है । इसके अलावा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों को राजी करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम में यथा-विनिर्दिष्ट नकद पुरस्कार योजनाओं, हिन्दी कार्यशालाओं, हिन्दी दिवस/सप्ताह आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) इन कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने के लिए अनुदेश जारी किए गए है । आशा है कि नामांकन का कार्य वर्ष 1988 में पूरा हो जाएगा । फिर भी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यधीन कुछेक क्षेत्रीय कार्यालयों की कतिपय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में कुछेक गैर-सरकारी सदस्यों, नामत. श्री कन्हैया लाल नन्दन, श्री कैलाश पति मिश्र, श्री जगदम्बी प्रसाद यादव तथा श्री उपेन्द्र पन्त को पहले ही नामजद किया जा चुका है ।

Setting up of a Food Processing Industry by Punjab Agro-Industries Corporation

3611. SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any application from M/s. Punjab Agro Industries Corporation with regard to the setting up of a Food Processing Industry in collaboration with Pepsi Inc. of USA;

(b) if so, what will be the imports as a percentage of exports;

(c) what are the imports as a percentage of exports permitted to processed Food Industry; and

(d) what are the reasons for the difference, if any, in the case of the above unit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) Yes, Sir.

(b) As per the offer of the Punjab Agro-Industries Corporation their imports for the project as a percentage of exports will be about 18.78 per cent.

(c) The current rate of import replenishment in the case of processed foods is 10 per cent. In addition the industry could also import items which are allowed under the Import-Export Policy.

(d) Does not arise.

Import of Foodgrains Under PL-480 from USA

3612. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any fresh policy decision in respect of PL. 480 for the supply of foodgrains from the United States against the background of shortfall in production due to last year's floods and drought;

(b) if not, whether the US Government complied with the Government of India's request for concessional credit for the import of essential food items; and

(c) what are the countries offering concessional credit to India for the import of foodgrains and other food items and what is the total amount involved in such imports during the financial year 1987-88?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF